

कार्यालय: महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय), नई दिल्ली-110002

सेवा में,

विषय: डैजर्ट कूलरों, वाटर कूलरों वाटर डिस्पेन्सर एवं एयर कंडीशनरों के छ: माही (01.04.2025 से 30.09.2025 तक) comprehensive रखरखाब अनुबन्ध के लिये मोहर बंद निविदाये आमंत्रित करने हेतु।

महोदय,

कार्यालय: महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय), एवं कार्यालय: महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय प्राप्ति) नई दिल्ली के द्वारा 01 अप्रैल 2025 से 30 सितम्बर 2025 (6 माह) तक की अवधि के लिए डैजर्ट कूलरों (लगभग 16/0) के रखरखाव एवं उनमें पानी भरने, एयर कंडीशनरों (लगभग 125/55 प्रति वाटर कूलर छ: माह के लिए) और वाटर कूलरों एवं वाटर डिस्पेन्सर (लगभग 09 /06) की सर्विस एवं रखरखाव का अनुबन्ध दिया जाना है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस कार्य के लिए अपनी न्यूनतम दरों की मोहरबन्द निविदा भेजें, जिसमें निम्न विवरण होः—

1. डैजर्ट कूलरः-

(अ) कूलरों के रखरखाव की दर ----- प्रति कूलर छ: माह के लिए
(पानी भरने और कार्यालय द्वारा स्वीकृत अच्छी गुणवत्ता के पैड सहित)

नोट:- निम्नलिखित के लिए उपरोक्त दरों के अलावा कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।

(क) कार्यालय के सभी कूलरों में पानी भरने का कार्य प्रतिदिन दो बार प्रातः 9 बजे तक तथा दोपहर में 2.00 बजे तक पूरा हो जाना चाहिए अन्यथा भुगतान के पैसों में अनुपातिक कटौती की जाएगी।

(ख) पानी भरने के लिए पाईप अनुबन्ध प्राप्त करने वाली फर्म को उपलब्ध करवाने होंगे, तथा उनकी रखरखाव की जिम्मेवारी फर्म की होगी।

(ग) कार्यालय के कूलरों में पानी भरने तथा उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलने के लिए फर्म अपनी ओर से दो कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी।

(घ) कार्यालय के सभी एयर कूलरों की सप्ताह में एक बार सफाई की जिम्मेवारी फर्म की होगी तथा मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए सभी कूलरों में मिट्टी का तेल या पैट्रोल भी डालना होगा। उपरोक्त सम्बन्ध में दिल्ली नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी पालन करना होगा। इस संदर्भ में नगर निगम के निर्देशों का पालन न करने के लिए यदि कोई चालान होता है तो केवल ठेकेदार ही इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होगा।

(ङ.) अनुबंध के अंत में अथवा कूलरों में पानी के भराव बंद होने पर सभी कूलरों के पैड हटा कर कूड़ाघर में डलवाने होंगे।

(च) यदि किसी दिन पानी भरवाने का कार्य फर्म द्वारा नहीं करवाया गया तो वह कार्य किसी अन्य से करवाया जाएगा तथा इसके एवज में उस का वास्तविक खर्च फर्म को देय बिल में से काट लिया जाएगा।

(छ) अनुबंध की अवधि के दौरान पांच सही कूलर के पंप व मोटरों कार्यालय के खराब हुए पंप को तुरंत बदलने के लिए अतिरिक्त रखने होंगे।

- (ज) अनुबंध के शुरू एवं अन्त में सभी कूलरों की अंदर व बाहर से अच्छी तरह सफाई करवानी होगी।
- (झ) कूलरों में पानी भरने पर दैनिक रूप से कूलरों में स्पताहिक सफाई करने एवं दिल्ली नगर निगम के निर्देशानुसार कूलरों में मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि डालने पर उनको इस कार्यालय के सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (कल्याण) से सत्यापन करना होगा।
- (ञ) कार्यालय को संविदा के अंतर्गत दिये जाने वाले उपकरणों की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार होगा तथा भुगतान तदनुसार किया जाएगा।

(ड्रैजर्ट कूलर के लिए निम्न वस्तुओं के बदलने/लगाने की दरः

(अनुबंध के आरंभ में इन वस्तुओं के खराब पाए जाने की स्थिति में)

- (i) कूलर की पम्प की मरम्मत की दरें (कूलर में फिटिंग सहित):-
.....
- (ii) कूलर की मोटर की मरम्मत की दरें
.....
- (iii) नया पम्प बदलने की दर
.....
- (iv) नई मोटर बदलने की दर
.....
- (v) ग्रिल (प्लास्टिक)
.....
- (vi) तार (3 कोर)
.....
- (vii) प्लग (5 एम्पियर) बैकोलाईट
.....
- (viii) प्लग (15 एम्पियर) बैकोलाईट
.....
- (ix) कन्डेन्सर
.....
- (x) जाली सैट
.....
- (xi) ड्रैजर्ट कूलर का पंखा बदलने की दर
.....
- (xii) ड्रैजर्ट कूलर के किसी अन्य पुर्जे को बदलने की दर (पुर्जे के नाम सहित)
.....
- (xiii) रुम कूलर के किसी अन्य पुर्जे को बदलने की दर (पुर्जे के नाम सहित)
.....
- (xiv) ड्रैजर्ट कूलर (अन्दर बाहर) पंखा, पंप व कूलर की पानी की टंकी पर रंग कराने की दर (Sand paper द्वारा साफ कर Red oxide (primer) लगाकर अच्छी गुणवत्ता का enamel paint, spray द्वारा)
.....

2. एयर कंडीशनर के लिए

सभी यंत्रों की सफाई (Servicing) तीन बार (अनुबंध के आरंभ, बीच में तथा आखिर में) करना अनिवार्य है।

(अ) रखरखाव प्रति यंत्र छः माह के लिए

- (i) वातानुकूलित यंत्रों (Split A/C) के लिए रख-रखाव की दरें बिना कम्प्रेसर के.....

- (ii) वातानुकूलित यंत्रों (Split A/C) के लिए रख-रखाव की दरें कम्प्रेसर के साथ.....

(ब) एयर कंडीशनर के लिए निम्न वस्तुएं बदलने की दर

(अनुबंध के आरंभ में इन वस्तुओं के खराब पाए जाने की स्थिति में)

- (i) कम्प्रेसर को बदलने सहित सर्विस की दरें
.....
- (ii) गैस भरने के चार्ज
.....
- (iii) नोब स्विच
.....
- (iv) फिल्टर (प्लास्टिक जाले वाले)
.....
- (v) कम्प्रेसर मरम्मत
.....
- (vi) ग्रिल
.....
- (vii) बॉडी
.....

(viii) थर्मोस्टेट
(ix) स्टार्टिंग केपेसिटर
(x) रनिंग केपेसिटर
(xi) मैटल टॉप प्लग (ISI)
(xii) विभिन्न कल पुर्जों को बदलने सहित सर्विस की दरें;
(xiii) बॉडी पर रंग-रोगन करने की दरें.
(xiv) ए.सी.की मोटर की मरम्मत की दरें (ए.सी में फिटिंग सहित):-
(xv) ए.सी.की नई मोटर बदलने की दरें
(xvi) पी.सी.बी.
(xvii) पंखा बदलने के चार्ज
(xviii) ए.सी से पानी रिसव
(xix) वाँल पिन बदलने के चार्ज
(xx) कन्डेसर बदलने के चार्ज
(xxi) ए.सी रीमोड बदलने/नए के चार्ज	-----
(xxii) split Ac Deinstallation के चार्ज	-----
(xxiii) split Ac Reinstallation के चार्ज	-----
(xxiv) gas split ac के चार्ज	-----
(xxv) wire per meter के चार्ज	-----
(xxvi) copper pipe per feet के चार्ज	-----
(xxvii) ac foam rubber pipe insulation per feet के चार्ज	-----
(xxviii) PCB Inverter A.c	-----

3. वाटर कूलर

(अ) रखरखाव के लिए दरें प्रति वाटर कूलर छः माह के लिए
(ब) वाटर कूलर के लिए विभिन्न कल पुर्जे बदलने के लिए निम्न वस्तुओं की दरें (अनुबंध के आरंभ में इन वस्तुओं के खराब पाए जाने की स्थिति में)
(i) कम्प्रेसर बदलने सहित सर्विस की दरें।
(ii) नल की टोंठी बदलने की दर।
(iii) रनिंग केपेस्टर
(iv) स्टार्टिंग केपेस्टर
(v) मैटल टॉप प्लग (ISI)
(vi) water dispenser maintenance service charge	-----

शर्तें :-

- (i) सभी कूलर, एयरकंडीशनर तथा वाटर कूलर अनुबंध के आरम्भ में चालू हालत में दिए जायेंगे तथा अनुबंध खत्म होने पर चालू हालत में लिए जायेंगे।
- (ii) कार्यालय के सभी वाटर कूलरों की सप्ताह में एक बार सफाई(बाहर से व अन्दर से) की जिम्मेवारी फर्म की होगी। उपरोक्त सम्बन्ध में दिल्ली नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी पालन करना होगा। इन सब के लिए कार्यालय से अनुबंध के अलावा कोई भी अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
- (iii) फर्म द्वारा प्रतिदिन दो ए.सी. मैकेनिक नियुक्त करना होगा एवं दो पानी भरने वाले कर्मचारी नियुक्त करना होगा। इसके अतिरिक्त मैकेनिक एवं लड़के जरूरत के हिसाब से देने होगे।

- (iv) फर्म द्वारा कूलरों में पानी भरने हेतु नियुक्त किए गए कर्मचारी अनुबंध की अवधि (06 माह) तक कार्यालय में ही रहेंगे।
- (v) मुहर बंद निविदाए, कल्याण अधिकारी/व.ले.प.अधिकारी (कल्याण) को सम्बोधित करते हुए कार्यालय: महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय), ए.जी.सी.आर.भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली - 110002 को प्रेषित की जानी चाहिए। निविदा दाता अपनी निविदा के साथ पूर्व में किए गए कार्यों के completion certificates की प्रतियां भी लगाएं। निविदाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि **17.03.2025 12.00 बजे** तक है। निविदाएं **17.03.2025** को सांय 3.00 बजे खोली जाएंगी।
- (vi) कार्यालय में निविदा भेजने वाली फर्मों को निविदा के साथ वेतन एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा), दिल्ली [PAO, O/o AG (Audit), Delhi] के पक्ष में ₹. 20,000/- (बीस हजार रुपये) का माँग पत्र (Demand Draft) जमा करवाना होगा। अनुबन्धित होने वाली फर्म का माँग पत्र (Demand Draft) प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करा ली जायेगी तथा शेष फर्मों को माँग पत्र वापिस कर दिये जायेंगे।
- (vii) प्रस्तुत कार्य के लिये चुनी गई फर्म की प्रतिभूति राशि कार्यालय द्वारा अनुबन्ध के सन्तोषजनक समाप्त होने तक कार्यालय में रखी जायेगी।
- (viii) असन्तोषजनक सर्विस होने की दशा में अनुबन्ध एक सप्ताह के नोटिस पर समाप्त किया जा सकता है तथा फर्म की देय राशि पर विचार नहीं किया जायेगा एवं प्रतिभूति राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
- (ix) फर्म के बिलों में से सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आयकर की कटौती की जायेगी।
- (x) फर्म अपनी दरें जी.एस.टी.सहित प्रस्तुत करें।
- (xi) पूर्व में इस कार्यालय में असंतोषजनक कार्य किए जाने पर नोटिस प्राप्त फार्म पर इस अनुबंध हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
- (xii) कार्यालय द्वारा अनुबंध उसी फर्म को दिया जाएगा जिसकी ड्रैजर्ट कूलर, वाटर कूलर तथा वातानुकूलित यंत्रों के रखरखाव की दरें कुल मिलाकर कम होंगी।
- (xiii) फर्म से नियुक्त कर्मचारी एक शिकायत रजिस्टर maintain करेंगे जिसमें सभी उपकरणों पर किये गए संतोषजनक कार्यों की जानकारी होगी और यह रजिस्टर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (कल्याण) से प्रत्येक सप्ताह अनुमोदित कराना होगा। अन्यथा नोटिस दिया जाएगा जिससे अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है।
- (xiv) सभी यंत्र/उपकरण दिनांक **28 मार्च 2025** को चालू हालत में तैयार होने चाहिए।
- (xv) फर्म के बिलों का भुगतान बिल के डीलिंग हैंड व सहायक लेखापरीक्षक अधिकारी (कल्याण) द्वारा वैरिफाई करने के पश्चात किया जाएगा।

३२५
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (कल्याण)